बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग

# अधिसूचना

संख्या–1जी / स्था0जि0क0 206 / 2008–508 पटना, दिनांक –12.3.2010

भारत संविधान के अनुच्छेद–306 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण संवर्ग के पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों के लिये निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**

(i) यह नियमावली "बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली, अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

**2. परिभाषाएँ।**

जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(i) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमण्डल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के संदर्भ में प्रधान सचिव / सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और उनसे उच्चतर पदो के संदर्भ में बिहार–राज्यपाल;

(ii) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रखंड / अनुमण्डल / जिला एवं प्रमण्डल स्तर के पदाधिकारी का संवर्ग;

(iii) **"आयोग"** से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(iv) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(v) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(vi) **"विभाग"** से अभिप्रेत है बिहार सरकार का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग;

(vii) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है बिहार सरकार का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण संवर्ग के सदस्य जिसके अन्तर्गत प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी / अनुमण्डल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी / जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी / उप निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं अन्य समकक्ष पद अथवा वैसे पद जो संवर्ग के किसी श्रेणी के सदस्य की नियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं या भरे जाएँ सम्मिलित हैं, के सदस्य; तथा

(viii) "परीक्ष्यमान" से अभिप्रेत है स्थायी पदो के विरूद्व परीक्ष्यमान रूप से सीधी भर्ती से नियुक्त प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी । यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

**3. सेवा / संवर्ग।**

इस संवर्ग में निम्नांकित पद एवं समकक्ष पद होंगे, उनका वर्गीकरण, कालावधि तथा नियुक्ति प्राधिकार समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार होंगे। यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

| क्र0सं0 | पदनाम | अराजपत्रित / राजपत्रित | नियुक्ति प्राधिकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी | अराजपत्रित | प्रधान सचिव / सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग । |
| 2 | अनुमण्डल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी | राजपत्रित | तदैव |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी | राजपत्रित | बिहार राज्यपाल |
| 4 | उप निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण (प्रमंडल स्तर पर) | राजपत्रित | बिहार राज्यपाल |

**4. संवर्ग बल।**

संवर्ग की प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा उसकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली–2010 के प्रभावी होने की तिथि तक सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित की गई हो तथा उसके बाद की तिथियों से सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अथवा अवधारित की जाय। (परिशिष्ट–1 द्रष्टव्य)

**5. पद सृजन।**

संवर्ग में किसी कोटि के अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन अवसरानुकूल किया जा सकेगा ।

**6. संवर्ग में प्रवेश बिन्दु एवं सम्पुष्टि की प्रक्रिया।**

**(क)** संवर्ग की मूल कोटि का पद प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी का पद होगा जो आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जायेगा। आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची के पैनल से नियुक्ति की जाएगी। आयोग का पैनल विभाग में प्राप्ति की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा।

**(ख)** सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अहर्ता आदि परिशिष्ट–1 के अनुसार होगी।

**(ग)** सीधी भर्ती के लिए रिक्ति की सूचना आयोग को समय–समय पर दी जायेगी। प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद से उच्चतर सभी राजपत्रित पदों पर उसके ठीक निचले पदों से प्रोन्नति द्वारा की जायेगी। प्रोन्नति के प्रस्ताव में विभागीय प्रोन्नति समिति/आयोग की अनुशंसा/परामर्श प्राप्त कर लिया जायेगा ।

**(घ) परीक्ष्यमान अवधि :–** प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी को इस पद पर नियुक्ति की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जायगा। परीक्ष्यमान की अवधि दो वर्षो की होगी । परीक्ष्यमान की अवधि में सेवा, कार्य कलाप संतोषजनक रहने तथा विभागीय दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करने पर ही प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्टि की जायगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर किसी पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि को एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। परीक्ष्यमान अवधि में कार्यकलाप संतोषजनक नहीं रहने या उनके विरूद्व गंभीर आरोप होने पर सेवा से मुक्त किया जा सकेगा। सीधे नियुक्त पदाधिकारी को (परीक्ष्यमान अवधि में) राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी–टिप्पण–प्रारूपण परीक्षा में एक वर्ष के अन्दर उत्तीर्णता प्राप्त कर लेने के पश्चात् हीं वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा। प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर हीं प्राप्त हो सकेगी।

**7. प्रोन्नति के लिये चयन का मापदण्ड।**

संवर्ग के अन्तर्गत प्रोन्नति के लिये अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदण्ड "वरीयता सह योग्यता" का सिद्धान्त होगा । प्रोन्नति के लिए कालावधि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होगा।

8. राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित मुफ्फसिल लिपिको के लिए निर्धारित लेखा परीक्षा पत्र–1 एवं 2 पुस्तक सहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षा का पाठ्यक्रम बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम–157 के अनुरूप होगा।

**9. इस संवर्ग में प्रोन्नति का क्रम निम्नानुसार होगा।**

(i) प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद से अनुमण्डल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर ।

(ii) अनुमण्डल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद से जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर।

(iii) जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद से प्रमंडलीय उप निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण के पद पर ।

**10. प्रोन्नति हेतु चयन की प्रकिया।**

प्रोन्नति के लिये चयन इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति/समितियों द्वारा किया जायेगा। सभी प्रोन्नतियां विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति उपलब्ध रिक्तियों के तीन गुणा पदाधिकारियों की सूची पर विचार करेगा। प्रोन्नति के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।

**11. इस संवर्ग के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेत विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नानुसार होगी।**

**(क)** अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी/जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पदों पर प्रोन्नति हेतु :–

| | | |
|---|---|---|
| (1) सदस्य, राजस्व पर्षद | – | अध्यक्ष |
| (2) प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव के स्तर से न्यूनतर स्तर के न हो। | – | सदस्य |
| (3) प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | – | सदस्य |
| (4) निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग | – | सदस्य |
| (5) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी जो उप सचिव से निम्न स्तर के न हों | – | सदस्य |

**(ख)** प्रमंडलीय उपनिदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण के पदों पर प्रोन्नति हेतु :–

| | | |
|---|---|---|
| (1) अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग अथवा उनके द्वारा मनोनीत आयोग के कोई अन्य सदस्य | – | अध्यक्ष |
| (2) प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव के स्तर से न्यूनतर स्तर के न हो। | – | सदस्य |
| (3) प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | – | सदस्य |
| (4) निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग | – | सदस्य |
| (5) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी जो उप सचिव से निम्न स्तर के न हों । | – | सदस्य |

*टिप्पणी :–उपर्युक्त विभागीय प्रोन्नति समिति समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुरूप लागू रहेगा ।*

**12. संवर्ग में प्रोन्नति के लिये विभागीय दायित्वों की अनिवार्यता।**

(i) प्रोन्नत अनुमण्डल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी को प्रोन्नति के पश्चात् 1 वर्ष के अन्दर 4 सप्ताह लगातार कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिसकी स्वीकृति राजस्व पर्षद बिहार के स्तर पर दी जायेगी तथा केन्द्रीय परीक्षा समिति बिहार द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षा का पाठयक्रम निम्नवत होगा:–

| क्र0 | विषय | पूर्णांक | उत्तीर्णांक | समय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हिन्दी (लिखित) | 200 | 120 | 3 घंटा |
| 2 | हिन्दी (मौखिक) | 100 | 60 | राजस्व पार्षद द्वारा निर्धारित किया जायेगा। |
| 3 | लेखा (पुस्तकरहित) | 100 | 60 | 1½ घंटा (बि0प्र0से0 के समतुल्य होगा। |
| 4 | लेखा (पुस्तकसहित) | 100 | 50 | 1½ घंटा (बि0प्र0से0 के समतुल्य होगा। |
| 5 | विभागीय विधि (पुस्तकरहित) | 100 | 60 | 1½ घंटा |

**विभागीय विधि पाठ्यक्रम निम्नांकित होगा :–**

(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995।

(ii) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।

(iii) योजना – (क) अनुदान योजना, (ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मी मुक्ति एवं पुर्नवास योजना, (ग) महिला समृद्धि योजना।

13.. **आरक्षण।**

राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण संबंधी नीति/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

14. **प्रोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की उपयुक्तता आंकने का समान मापदण्ड।**

प्रोन्नति के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यथियों की उपयुक्तता अन्य सामान्य अभ्यर्थियों के साथ ही आंकी जायेगी, अथवा उपयुक्तता का मापदण्ड सभी अभ्यर्थियों के लिये एक सा होगा। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड की योग्यता रखते हैं उन्हें आरक्षण की सीमा तक चुन लिया जायेगा ।

15. **संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण।**

(क) संवर्ग के सभी कोटि के पदों का प्रशासी विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होगा जो संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(ख) परिचालनात्मक (ऑपरेशनल) नियंत्रण – प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी एवं उससे उच्चतर पदों के सदस्य जिस प्रमण्डल/जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड में पदस्थापित रहेंगे, इस संवर्गीय कार्यालय प्रधान के परिचालनात्मक नियंत्रण में रहेंगे।

16. **नियुक्तियाँ/पदस्थापन इत्यादि की अधिसूचना।**

संवर्ग के अराजपत्रित पदों को छोड़कर सभी कोटि के पदों पर नियुक्तियां/प्रोन्नतियां/पदस्थापन तथा स्थायीकरण (सम्पुष्टि) सरकारी गजट में अधिसूचित किया जायेगा।

17. **वरीयता का निर्धारण।**

आयोग द्वारा सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता आयोग के परीक्षाफल में निर्धारित (मेधासूची) योग्यताक्रम के अनुरूप होगी तथा इससे उच्चतर पदों पर वरीयता निर्धारण प्रोन्नति की तिथि के अनुसार होगा। सभी पदों के लिए वरीयता कोटि क्रमांक सूची अलग–अलग संधारित की जायेगी।

18. **प्रकीर्ण विषय।**

इस नियमावली द्वारा की गई व्यवस्था के सिवाय सेवा की किसी कोटि में नियुक्त व्यक्ति का वेतन (जिसके अन्तर्गत वेतन का निर्धारण भी है) भत्ते, छुट्टी, पेंशन,तथा सेवा की अन्य शर्ते तत्समय उस हेतु प्रवृत्त राज्य सरकार के सामान्य नियमों या आदेशों द्वारा विनियमित होगी। इस नियमावली के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत एवं नियमावली का निर्माण किया जा सकेगा ।

19 **नियमों का शिथिलीकरण।**

यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि संवर्ग में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्त्तों से सम्बन्धित किसी नियम को लागू करने से किसी विशेष मामले में अनुचित कष्ट होता है तो वह उस मामले में प्रयोज्य नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपने आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्त्तों के अधीन रहते हुए ,जिन्हें वह न्यायोचित तथा साम्योचित रीति से मामले का निपटारा करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डा0 के0 पी0 सामर्थ्य)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–1जी/स्था0जि0क0 206/2008–508 पटना, दिनांक –12.3.2010

प्रतिलिपि–अनुलग्नलक की प्रतिलिपि सहित अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव
15/3/2010

ज्ञापांक–1जी/स्था0जि0क0 206/2008–508 पटना, दिनांक –12.3.2010

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव
सरकार के सचिव
15/3/2010

ज्ञापांक–1जी/स्था0जि0क0 206/2008–508 पटना, दिनांक –12.3.2010

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित सभी विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलोय उप निदेशक (कल्याण)/सभी जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव
15/3/2010

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
संचिका सं0–1जी0/स्था0 जि0 क0–206/2005–

# शुद्धि पत्र

विभागीय अधिसूचना संख्या–508 दिनांक–12.3.2010, जिसके द्वारा बिहार अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली–2010 प्रकाशित की गयी है, के प्रारंभ में अंकित भारत के संविधान के "अनुच्छेद–306" के स्थान पर "अनुच्छेद–309" पढ़ा जाय।

2– उक्त अधिसूचना की शेष प्रविष्टियाँ यथावत् रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
07/7/10
(एस0 एम0 कैसर सुल्तान)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–1जी0/स्था0 जि0 क0–206/2005– 1252 पटना, दिनांक–7/7/10
प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
07/7/10
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–1जी0/स्था0 जि0 क0–206/2005– 1252 पटना, दिनांक–7/7/10
प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
07/7/10
सरकार के उप सचिव